

1/18812/2023

1/18812/2023

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 45 /29-1(1)(HRD) देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित WP(S/B) 706/2022 वन क्षेत्राधिकारी संघ बनाम राज्य व अन्य में मा० न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2023 में मा० न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया है कि WP(S/B) 145/2016 में पारित निर्णय 10.03.2017 का अनुपालन न किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। इस सम्बन्ध में मा० न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2017 के अनुपालन में इस कार्यालय के वनादेश संख्या 111/1-12(7) दिनांक 29.06.2017 एवं वनादेश संख्या 112/1-12(7) दिनांक 29.06.2017 द्वारा समस्त उप वन क्षेत्राधिकारियों को क्षेत्रीय रेंजों से कार्यमुक्त कर वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती का विवरण संकलित करने व ऐसी तैनातियों हेतु उत्तरदायी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारण करने के लिए किया गया था। परन्तु संज्ञान में आया है कि तत्पश्चात कतिपय अधिकारियों द्वारा उप वन क्षेत्राधिकारी को क्षेत्रीय रेंजों का कार्यभार दिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में दिनांक 29.06.2017 के पश्चात क्षेत्रीय रेंजों में उप वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती प्रारम्भिक जांच हेतु निम्नप्रकार समिति का गठन किया जाता है :-

1. डॉ० धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वानिकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबन्धन एवं अनुसंधान, देहरादून।
2. श्री बी०पी० गुप्ता, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उक्त समिति प्रकरण पर प्रारम्भिक जांच कर 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को जांच आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि मा० उच्च न्यायालय के अनुपालन में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सकें।

Signed by Vinod Kumar

Date: 28-03-2023 14:02:57

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

पत्रांक 1/10012/2023 (1)/29-1(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ✓ 7. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

1

I/18812/2023

I/18812/2023

पत्रांक 1/10012/2023 (2)/24-1(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. डॉ० धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वानिकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबन्धन एवं अनुसंधान, देहरादून।
2. श्री बी०पी० गुप्ता, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

पत्रांक 1/10012/2023 (3)/24-1(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता को मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से मा० न्यायालय को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)